न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 394/2021

1. विनोद कुमार पुत्र स्व0 दुलीचद पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी वर्तमान पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान।

--वादी

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी वर्तमान पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
2. रामप्रताप पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी वर्तमान पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।
4. इण्डियन बैंक शाखा सुखाड़िया सर्किल श्री गंगानगर/ पूर्व इलाहाबद बैंक शाखा सुखाड़िया सर्किल जरिए शाखा प्रबंधक।

--प्रतिवादीगण

5. सरस्वती देवी पत्नी स्व0 दुलीचद पुत्र भोमाराम जाति मेघवाल निवासी वर्तमान पुरानी आबादी श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
6. सुमित्रा पुत्री स्व0 दुलीचन्द पत्नि प्रवीण कुमार जाति मेघवाल साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

--तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88, 91, 53, 209 बाबत जमाबंदी व मौखिक पारिवारिक समझौता, घोषणा एवं खाता विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता --- वादी
2. श्री शैलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 6
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11/02/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व0 दुलीचंद व प्रतिवादी सं0 1, 2 सगे भाई थे तथा तीनों के नाम से चक 43 एलएलडब्ल्यू पटवार मण्डल सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के खाता सं. 51/36 मु0न0 5, प0न0 17/226 के कि0न0 1 ता 25 में 6.200 है0 नहरी व 0.125 है0 रास्ता खातेदारी दर्ज कागजातराज है। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी की नकल पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

इस मुरब्बा के कि0न0 1,10,11, [illegible] रास्ता स्वीकृतशुदा चल रहा है। इसी कारण रास्ते के रकबा को छोड़कर शेष 6.200 है0 नहरी में तीनों का बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ, वादी के पिता के जीवनकाल में उसके भाईयों प्रतिवादी [illegible] के साथ मौखिक पारिवारिक समझौता के अनुसार किले [illegible]ईज भूमि प्रत्येक के कब्जा काश्त

11/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

में चली आयी जिसमें वादी के पिता स्व. दुलीचद के हिस्सा की 2.067 है0 नहरी निम्नलिखित किलाजात पर कब्जा चला आ रहा था-

"मु0न0 5 कि0न0 20 की 0.228 है0, कि0न0 21 की 0.228 है0, कि0न0 19 की 0.253 है0, कि0न0 22 की 0.253 है0, कि0न0 18 की 0.253 है0, कि0न0 24 की 0.253 है0, कि0न0 17 की 0.253 है0 कुल 1.974 है0 व कि0न0 25 का पश्चिम हिस्सा कि0न0 24 के साथ लगता 0.093 है0"

वादी के पिता ने उपरोक्त कब्जा काश्त की भूमि में भारी मेहनत व काफी रूपया लगाकर सुधार कार्य करवाया वादी के पिता के देहान्त के बाद उसके जायज वारियान वादी व प्रतिवादी सं. 5,6 होने से तथा प्रतिवादी सं. 5, 6 द्वारा मौखिक पारिवारिक समझौता द्वारा अपने हक हिस्सा वादी के हक में छोड़ देने के कारण वादी के कब्जा काश्त में उपरोक्त रकबा 2.067 है0 किलावाईज नहरी कब्जा काश्त की भूमि में भारी मेहनत व काफी रूपया लगाकर सुधार किया हुआ है तथा आज भी काबिज चला आ रहा है। अतः उपरोक्त रकबा का खातेदार काश्तकार व हकदार है व काबिज है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

डिक्री घोषणा व खाता विभाजन सादिर करते हुए चक 43 एलएलडब्ल्यू पटवार मण्डल सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के खाता सं. 51/36 मु0न0 5, प0न0 17/226 के कि0न0 1 ता 25 में 6.200 है0 नहरी में से वादी के पिता स्व0 दुलीचन्द के 1/3 हिस्सा अर्थात 2.067 है0 वाद पत्र में अंकित कारणों से प्रतिवादी सं. 5,6 द्वारा अपना हक हिस्सा वादी के हक में छोड़ने के कारण वादी को 1/3 हिस्सा अर्थात 2.067 है0 का खातेदार घोषित करते हुए खाता विभाजन में मु0न0 5 कि0न0 20 की 0.228 है0, कि0न0 21 की 0.228 है0, कि0न0 19 की 0.253 है0, कि0न0 22 की 0.253 है0, कि0न0 18 की 0.253 है0, कि0न0 24 की 0.253 है0, कि0न0 17 की 0.253 है0 कुल 1.974 है0 व कि0न0 25 का पश्चिम हिस्सा कि0न0 24 के साथ लगता 0.093 है0 किलावाईज वादी के नाम दर्ज करने, मामला लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे "

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 28.12.2021 को वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 6 मय अधिवक्तागण हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा पेश किया और प्रार्थना की गयी कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गयी। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार उपतहसीलदार गोलुवाला से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज [illegible] ई.आर. 1976 द्धएससीत्रः पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज [illegible] 1975 478, ए.आई.आर.1966 द्धएस.सी.त्रः 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 [illegible] प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया [illegible] आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

11/04/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 91, 53, 209 के अन्तर्गत वर्णित भूमि का निम्न प्रकार से खाता विभाजन किया जाता है-

1. वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्राप्त भूमि -

   चक 43 एलएलडब्ल्यू पटवार मण्डल सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के खाता सं. 51/36 मु0न0 5, प0न0 17/226 के कि0न0 17 की 0.253 है0, कि0न0 18 की 0.253 है0, कि0न0 19 की 0.253 है0, कि0न0 20 की 0.228 है0, कि0न0 21 की 0.228 है0, कि0न0 22 की 0.253 है0, कि0न0 24 की 0.253 है0, कुल 1.974 है0 व कि0न0 25 का पश्चिम हिस्सा कि0न0 24 के साथ लगता 0.093 है0 कुल 2.067 है0।

2. प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त -

   चक 43 एलएलडब्ल्यू पटवार मण्डल सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के खाता सं. 51/36 मु0न0 5, प0न0 17/226 के कि0न0 5 की 0.160 है, कि0न0 6 की 0.253 है0, कि0न0 11 की 0.228 है0, कि0न0 12 की 0.253 है0, कि0न0 13 की 0.253 है0, कि0न0 14 की 0.253 है0, कि0न0 15 की 0.253 है0, कि0न0 16 की 0.253 है0 व कि0न0 25 की 0.160 कुल 2.066 है0।

3. प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त -

   चक 43 एलएलडब्ल्यू पटवार मण्डल सूरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के खाता सं. 51/36 मु0न0 5, प0न0 17/226 के कि0न0 1 की 0.228 है0, कि0न0 2 की 0.253 है0, कि0न0 3 की 0.253 है0, कि0न0 4 की 0.253 है0, कि0न0 5 की 0.093 है0, कि0न0 7 की 0.253 है0, कि0न0 8 की 0.253 है0, कि0न0 9 की 0.253 है0, कि0न0 10 की 0.228 है0 कुल 2.067 है0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested

11/02/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

11/04/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.04.24 16:59:11 IST
Reason: SelfAttested